



कीट विज्ञान विभाग
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर राजस्थान-303329

दूरभाष: 01425-254022 मो. 9829636935

क्रमांक: एरा.के.एन./कीट विज्ञान/आर.के.वी.वाई.भ./2018/ 68

खुली निविदा सूचना

दिनांक: 29-08-2018


सार्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कीट विज्ञान विभाग में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना 16 व 27 के अन्तर्गत अनुसंधान के लिए सर्वे कार्य हेतु राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बोलेरो, ईनोवा, तवेरा, स्विफ्ट डिजायर, टाटा इंडिगो एसी वाली 5 से 7 सवारियों के लिए टैक्सी वाहन की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु टैक्सी वाहन मालिक/फर्म अपने वाहन की किराया दर राशि प्रति किलोमीटर की दर से 200 किमी प्रतिदिन तक एवं 200 किमी प्रतिदिन से अधिक की राशि सहित बन्द लिफाफे में निविदायें दिनांक 10.09.18 को 11:00 बजे तक विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को भेजने का श्रम करें। निविदा उसी दिन प्रातः 11:00 बजे तक निविदा समिति/सदस्यगण, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को समक्ष खोली जायेगी। यह निविदा 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत वाहन मालिक को वाहन की आवश्यकता होने पर 10 से 15 घण्टे पूर्व सूचना कर दी जावेगी। जिसके तहत वाहन मालिक को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।


शर्तें:-

1. निविदा अर्द्ध धरोहर राशि रुपये 1000/- जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. वाहन का किराया आर.के.वी.वाई. परियोजना में बिल पारा होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
3. वाहन से सम्बन्धित सभी कर (टोल टैक्स, पार्किंग एवं अन्य खर्च) टैक्सी वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।
4. निर्धारित स्थिति के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. वाहन का ऑल राजस्थान टैक्सी परमिट होना आवश्यक है।
8. वाहन का टैक्सी परमिट, वाहन बीमा व चालक का लाइसेंस होना आवश्यक है।
9. वाहन वर्ष 2013 के बाद का पंजीकृत होना आवश्यक है।
10. भ्रमण के दौरान अकस्मात किसी भी कारण की स्थिति में वाहन चालक एवं वाहन की क्षतिपूर्ति के लिए वाहन मालिक ही पूर्ण जिम्मेदार होगा।
11. आर.टी.ओ सम्बन्धित किसी भी तरह के खर्च वाहन मालिक को स्वयं को वहन करना होगा।
12. निविदा को निरस्त करने के सभी अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
13. निविदादाता द्वारा समय पर यात्रा हेतु वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म पर सख्त कार्यवाही की जावेगी एवं फर्म/व्यक्ति का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसको भ्रमण पर जाने वाले व्यक्तियों को महाविद्यालय से गन्तव्य स्थान तक तथा गन्तव्य स्थान से महाविद्यालय में छोड़ना होगा तथा इसी बीच की दूरी का भुगतान किया जायेगा।

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान अग्निष्वाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान विभाग,
3. संयोजक निविदा कमेटी/सदस्यगण/ श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. मैसर्स/श्री.....
5. नगरपालिका नोटिस बोर्ड, जोबनेर।
6. नोटिस बोर्ड, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
7. ओ/सी शिमका को भेजकर लेख है कि वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।


विभागाध्यक्ष


विभागाध्यक्ष



कीट विज्ञान विभाग
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर राजस्थान-303329
दूरभाष: 01425-254022 मो. 9829636935

निविदा प्रपत्र

- परियोजना का नाम - आर के वी वाई परियोजना 16 व 27, कीट विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
- कार्यावधि - वित्तीय वर्ष 2018-19

निविदा दरें

- 200 किमी तक एवं अधिक प्रतिदिन वाहन चलने पर दरें

क्रमांक	वाहन का प्रकार	बैठने की क्षमता	दर/किमी (200 किमी प्रतिदिन तक)	दर/किमी (200 किमी प्रतिदिन से अधिक)
1	बोलेरो (एसी)	07		
2	ईनोवा (एसी)	07		
3	तवेरा (एसी)	07		
4	स्विफ्ट डिजायर (एसी)	05		
5	टाटा इंडिगो (एसी)	05		

हस्ताक्षर वाहन मालिक

पता